फार्म संख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत)

प्रकरण का उनवान: आई डी बी आई बैंक लिमिटेड बनाम ऐ एस के (ASK) डेयरीज प्रा. लि. व अन्य

कोर्ट नोटिस	16.11.2018
स्पॉट नोटिस	22.11.2018
सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु	17.12.2018
तारीख वास्ते प्रस्तुति सबूत पेन कार्ड, आई डी, आरक्षित राशि जमा करने बाबत्	20.12.2018
नीलामी तिथि	24.12.2018
रिपोर्ट	28.12.2018

आर. सी. संख्या 62/2012 आगामी तिथी 28.12.2018

विक्रय की उदघोषणा

कार्यालय वसूली अधिकारी

ऋण वसूली अधिकरण कमरा संख्या 4 नेहरू प्लेस, टॉक रोड जयपुर (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 62/2012 जो कि मूल आवेदन संख्या 201/2011 में दिनांक 01.10.2012 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्व 2,23,80,787.79 रूपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चो सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धक सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 07.12.2012 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चो सहित कुल राशि 2,62,33,127.14 रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्गित सम्पत्ति की नीलामी C1 India Pvt. Ltd. (पता Udyog Vihar Phase-2, Gulf Petrochem Building, Building No. 301, Gurgaon, Haryana-122015) मोबाईल नं. 0124–4302020/2021/2022 जरिये ई–ऑक्शन (वेबसाइट https://www.bankeauctions.com ई मेल dheeraj.jha@c1india.com) के द्वारा दिनांक 24.12.2018 को प्रात 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे तक किया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि मे दिया गया है, का किया जायेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये है, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है। सम्पत्ति का विक्रय जहाँ है जैसी स्थिति में है" के आधार पर किया जायेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जायेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत विक्रय की लागत सहित विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जायेगा।

विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वम् अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इन विक्रय के सम्बंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नही लिया जायेगा।

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्ययीन होगा।

1. संलग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उदघोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा।
2. सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य 1.20 करोड रूपये (रूपये एक करोड बीस लाख रुपये) होगा जिससे कम मूल्य से सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी।
3. राशि 50,000 के गुनांक में बोली को बढ़ाया जा सकेगा तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।
4. इच्छुक बोलीदाता दी गई वेबसाईट पर जा कर स्वंय को सर्विस प्रोवाईडर के पास पंजीकृत करवायेंगें व यूजर आई डी व पासवर्ड सर्विस प्रोवाईडर से प्राप्त करेंगे, यह नीलामी में भाग लेने के लिए अनिवार्य है।
5. बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत धरोहर राशि सर्विस प्रोवाईडर के पास खाता संख्या 0413103000000107 आई एफ एस सी कोड IBKL0000413 में जमा करवानी होगी एवं प्रमाणित प्रति पेनकार्ड, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है सर्विस प्रोवाईडर के पास उसके दिये गये पते पर दिनांक 20.12.2018 तक प्रस्तुत करने होगें।
6 किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गई बोली आरक्षित मूल्य से कम नही है। उच्चतम बोली को स्वीकार का अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।
7. लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
8. अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रेता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् क्रय मूल्य की 25% राशि, धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवाई जाएगी जो खाता संख्या 0413103000000107 आई एफ एस सी कोड IBKL0000413 में जमा करवायी जायेगी, जिसमें व्यक्तिक्रम होने पर सम्पत्ति को तुरन्त ही पुनः विक्रय हेतु लगाया जायेगा। विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा खाता संख्या 0413103000000107 आई एफ एस सी कोड IBKL0000413 अथवा वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें नीलामी का दिन शामिल नहीं होगा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हों तों उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम किए जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उदघोषणा करके कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि (अधो–हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/– रु. पर 2% एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1% की दर से पाण्डेज़ फीस का भुगतान करना होगा।
9. नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 17.12.2018 को 10 बजे से सांय 4.00 बजे तक किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर आई.डी.बी.आई. बैंक के 1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 उप महा प्रबंधक श्री हरी कुमार मीणा (DGM) मो. 011–66084836–9818844847 से सम्पर्क कर सकते है।
10. यदि इच्छुक बोलीदाता के पास इंटरनेट नहीं है तो व सर्विस प्रोवाईडर अथवा नोडल अधिकारी के जरिये बोली लगा सकता है। बोली के दौरान यदि बोलीदाता के कम्प्यूटर हैंग होने या पॉवर फेलियर होने पर सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी नहीं होगी। बोलीदाता इसकी वैकल्पिक व्यवस्था रखे।
11. इच्छुक बोलीदाता यदि चाहे तो वह ई–नीलामी के लिए सर्विस प्रोवाईडर से दी गई वेबसाईट पर प्रशिक्षण ले सकता है।
12. ई–नीलामी में यदि 3.00 बजे पश्चात् 10 मिनट में यदि कोई बढ़ी हुई बोली नहीं आती है तो नीलामी की कार्यवाही समाप्त घोषित कर दी जायेगी। यदि कोई बढ़ी हुई बोली 10 मिनट के भीतर आती है तो नीलामी समय 10 मिनट बढ़ा दिया जाएगा। जोकि अधिकतम 4.00 बजे तक बढ़ाया जा सकेगा।
13. धरोहर राशि का डी.डी. असफल बोलीदाताओं को उसी दिन लौटाया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण:

प्लॉट की संख्या	अन्य सहमालिका का नाम सहित बेची जानी वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह–मालिक है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है।	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के संबंध में आगे आये है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टयों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
	2	3	4	5
1	सम्पत्ति निर्णीत ऋणी संख्या 1 M/s ASK Dairies Pvt. Ltd. 1. Agriculture land situated on Khasra No. 1661 Admeasuring 2.16 Hectare having 41/182 share, situated at NH 11, Parasrampura Mode, VPO Sargoth, District- Sikar 2. Agriculture land situated on Khasra No. 1662 Admeasuring 1.82 Hectare having 25/216 share, situated at NH 11, Parasrampura Mode, VPO Sargoth, District- Sikar 3. Agriculture land situated on Khasra No. 1033 Admeasuring 0.16 Hectare and Khasra No. 1034 Admeasuring 0.15 Hectare totalling 0.31 Hectare having 1/2 share, situated at NH 11, Parasrampura Mode, VPO Sargoth, District- Sikar	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जारी

वसूली अधिकारी – I I, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

The Sale notice is Published in Business Standard, Delhi full run covering Jaipur & Sikar and Rashtradoot, Jaipur full run covering Sikar on 08.12.2018